कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 2955 / FP/UK/ROAD/151113/2022 देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 133.00 से 170.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या –151113/2022)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी/यू.सी0.पी./06/73/2022/एफ.सी./224 दिनांक 24.05.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 24.05.2023 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा 3467/12–1(2) दिनांक 12.06.2023 से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है :–

Sn	Querry	Querry Removed
1.	The state Government to provide adequate documentation proving that the bye-pass itself is a strategic route.	CF has been inform that this route is a feeder link route that connects NH-09(Tanakpur-Pithoragarh-Askot) at Ghat (Pithoragarh) which is strategic route connecting to Indo-China Boarder. Which is also metioned on point no. 14 of Judgement of Suprime Court Dt. 14-12-2021(old NH-125) (attached copy of Minutes of meeting of Standing Finance committee (SFC) for 2-Lane widering of NH-309 A and Judgement of Suprime court dt-14-12-2021 is Attached herewith)
2.	The State Government is requested to present the wildlife management plant in the meeting.	CF has been inform that the Wildlife Management Plant presented earlier in the R.E.C. meeting by D.F.O. Bageshwar on dated 30.05.2023 has been discussed.
3.	It is also requested to inform that whether the proposed work falls within the purview of oversight committee or not.	CF has been inform that NGT formed oversight committee to monitor the environmental safe guards for the widening of chardham yatra route. So proposed work not falls within the purview of oversight committee. Which is mentioned on point no. 07 of Judgement of Suprime court dt 14-12-2021.

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 2955 /FP/UK/ROAD/151113/2022/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा 3467/12–1(2) दिनांक 12.06.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

19/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।